रजिस्ट्री सं० डी०-221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी, 12 1971/पौष 22, 1892

No. 1] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 1971/PAUSA 22, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 11th January 1971

S.R.O. 1-E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), the Central Government hereby declares every service connected with the supply of electricity in the State of Punjab to be a service of vital importance to the community.

[No. F. 2(3)/71/D(GS-I).]

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1971

का० नि० आ० 1-ई.—सशस्त्र बल (आपात ड्यूटी) अधिनियम, 1947 (1947 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पंजाब राज्य में विद्युत के प्रदाय से संबंधित प्रत्येक सेवा को समुदाय के लिए अत्यधिक महत्व की सेवा घोषित करती है।

[सं० एफ० 2(3)/71/डी० (जी० एस०-I)]

S.R.O. 2-E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), the Central Government hereby declares every service connected with the supply of electricity in the State of Bihar to be a service of vital importance to the community.

[No. F. 2(2)/71/D(GS-I).]

S. KRISHNASWAMI, Jt. Secy.

का० नि० आ० 2-ई.—सशस्त्र बल (आपात ड्यूटी) अधिनियम, 1947 (1947 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा बिहार राज्य में विद्युत के प्रदाय से संबंधित प्रत्येक सेवा को समुदाय के लिए अत्यधिक महत्व की सेवा घोषित करती है ।

[सं० एफ० 2(2)/71/डी० (जी० एस०-1)]

एस० कृष्णस्वामी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971